

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी  
प्रपत्र - अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1227 द्वारा माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह  
वर्तमान में केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित रेत खदानों की जानकारी

क. जिला	तहसील	केवलारी विधान सभा अंतर्गत ग्राम का नाम जिसके अंतर्गत रेत खदान स्थित होकर संचालित है	रेत खदान के स्थल का नाम	स्वीकृत रकबा	खसरा क्रमांक	स्वीकृत अवधि	टेकेदार का नाम	यदि खदान दिनांक 01.01.2015 के पश्चात प्रश्न दिनांक 29.6.2017 की अवधि के मध्य आबंटित हुयी है तो खदान की वार्षिक ठेका राशि	यदि खदान दिनांक 01.01.2015 के पूर्व आबंटित हुई है तो इसकी वार्षिक ठेका राशि	खदान से दिनांक 1.1.2015 से प्रश्न दिनांक 29.6.2017 तक प्राप्त वर्ष वार राजस्व आय (रुपये में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सिवनी	केवलारी	खुरसीपार	खुरसीपार	6.00 हे०	1	31.3.20 से 27.5.15	मै० महिष्मति रेत कंपनी मण्डला	2,32,59,000.00	—	58,14,750.00	2,32,59,000.00	1,16,29,500.00

पुरक जानकारी

केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स मेन्टेना इन्फ्रा.कंपनी हाल कैम्प हथनापुर तहसील सिवनी को सिवनी जिले में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम नसीपुर, तहसील केवलारी स्थित शासकीय भूमि ख०न० 313 का रकबा 5.00 हे० क्षेत्र पर अस्थाई अनुज्ञा खनिज रेत हेतु दिनांक 30.6.2018 तक जारी की गई है। जिसमें अनुज्ञाधारी द्वारा रायल्टी राशि 44,00,000.00 रु० (रु० चौवालीस लाख मात्र) जमा किया गया है।

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्नीस'  
प्रश्न क्र. 1227 ]

[ 20/7/2017 ]

अनुभाष्य अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
खनिज तथा धन विभाग

सहायक खनि अधिकारी  
खनिज शाखा सिवनी

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी  
प्रपत्र - ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1227 द्वारा माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह

केवलारी विधान सभा क्षेत्र में रेत उत्खनन किये जाने संबंधी जन प्रतिनिधियों से दिनांक 1.1.2015 से 29.6.2017 तक प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र०	जनप्रतिनिधि का नाम व पदनाम	केवलारी विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायत का दिनांक	शिकायत का विवरण संक्षेप में	प्राप्त शिकायत पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी
1	श्री राजेन्द्र गंगत उप सरपंच नसीपुर	3 14.6.2016	4 ग्राम नसीपुर में वेयर हाउस बनाने वाली सोसायटी के प्रबंधक राधेश्याम शरणगत निवासी सरखा टोला तह. केवलारी द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की शिकायत	5 प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2016 को जांच हेतु दिया गया, खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नसीपुर तहसील कदेलारी में 90 घ.मी. रेत का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर 1,80,000.00 रु0 अर्धदण्ड प्रस्तावित किया । दिनांक 18.07.2016 को माननीय न्यायालय कलेक्टर भेजने की कार्यवाही की गई, कार्यवाही प्रचलित है।
2	श्री श्रवण कपूर (जनसौचक) भाजपा युवा नेता	20.11.2016	महिभाति कंपनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से अन्य स्थान पर अवैध उत्खनन किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक को दिनांक 05.12.2016 को जांच हेतु पत्र दिया गया, जिसकी जांच खनि निरीक्षक द्वारा 24.01.2017 को जांच कर ग्राम छुरसरा के ख0नं0 01 के आंशिक भाग से मात्रा 102 घ0मी0 का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 25.01.2017 को रुपये 2,04,000.00 अर्धदण्ड जमा कराया गया है
3	श्री अशोक शाहिल्य, जनपद सदस्य केवलारी	15.6.2017	ग्राम नसीपुर से अवैध रेत खनन का कार्य मशीनों से किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2017 को जांच कर 49,50,000.00 रु0 अर्धदण्ड हेतु ग्राम नसीपुर के ख0नं0 313 का आंशिक भाग पर खनिज रेत मात्रा 1980 घ0 नौ0 अवैध उत्खनन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किंचा गया । जिसमें अनावेदक गणों को दिनांक 22.06.2017 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब प्राप्ति पर्यंत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

  
अनुभव अधिकारी  
मुख्यालय, शासक,  
खनिज शाखा